सीमाशुल्कप्रधानआयुक्तकाकार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS
हवाईअड्डाऔरएयरकार्गोकॉम्प्लेक्सआयुक्तालय / **AIRPORT AND AIR CARGO COMPLEX COMMISSIONERATE**
एयरइंडियासाट्सएयरफ्रीटटर्मिनल, दूसरातल, देवनहल्ली, बेंगलूर
AIR INDIA SATS AIR FREIGHT TERMINAL 2ND FLOOR: KIAP: DEVANAHALLI BENGALURU– 560300 080-22001463/64

लोक सूचना सं /PUBLIC NOTICE. No.30/2020-दिनांक /DATED: 26.05.2020

(दस्तावेज पहचान सं /DIN:20200572MP00005MPPEO)

विषय:आई.सी.ई.एस सुझाव 17/2020- आगम बिल संशोधन कार्यवाही को संपर्क रहित एवं कागज रहित बनाने के लिए आगे के उपाय।

Subject: **ICES Advisory 17/2020-Further measures to make Bill of Entry Amendments Process contactless and paperless**--reg.

उपर्युक्त विषय के पर सभी आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, सीमा शुल्क ब्रोकर्स और अन्य फणधारियों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । महानिदेशालय प्रणाली द्वारा सिस्टम में विशेषताएं जोड़कर या कार्यवाहियों को पुन:सृजित करके सीमा शुल्क कार्यवाही को संपर्क रहित एवं कागज रहित बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है । इस संबंध में ई.ओ.ओ.सी एवं ई गैटपास के पी.डी.एफ प्रतियों को जनरेट करके ई मेल करने के संबंध में दिनांक 14.4.2020 के अद्यतन आई.सी.ई.एस सुझाव का सदर्भ लिया जाता है ।

Attention of the Importers, Exporters, Customs Brokers and all other stakeholders is invited to the above mentioned subject. Continuous efforts are being made by the DG/Systems to add features or restructure processes in the System to make the Customs clearance process contactless. Reference is drawn to recent ICES Advisory 14/2020 dt.14.04.20 on generation and emailing Of PDF copies of eOOC and eGatepass.

2. एक तरफ इन पहलुओं ने व्यापार को बहुत मदद किया, आगम बिल संशोधन कार्यवाही एक क्षेत्र है जिसमें, वास्तविक इंटरफेस अभी भी चालू है। उचित अधिकारियों के अनुमोदन के लिए सेवा केंद्र में चैकलिस्ट की कागज प्रति के साथ संशोधनों को दायर किया जाता है । यदि उचित अधिकारी द्वारा संशोधन फीस लगाया जाता है तो उसकी वसूली भी मैनुअल टी.आर.6 द्वारा की जाती है । इस कार्यवाही को सुव्यवस्थित करके ईलेक्ट्रानिक करने के लिए निम्न लिखित बदलाव सिस्टम में शुरु किया गया है ।

While these initiatives have greatly helped Trade, one of the areas where physical interface has continued in Imports is the Bill of Entry amendment process. The amendments are filed only in the Service Centre along with paper copy of the checklist for approval by the proper officer. The amendment fees, if levied by the proper officer is also collected through manual TR-6 challans.

Following changes have now been introduced in the System to streamline this process and make it electronic.

a) **<u>आगम बील के ऑनलाईन दायर के संबंध में संशोधन Online Filing of BE Amendment</u>**

आईसर्गट द्वारा संशोधन को ऑनलाई दायर करने की सुविधा अभी प्रचलित है । उसका मैसेज पता है CACHI0l_A, और वही आईसर्गट में (https://www.icegate.gov.in/msg guideline.html मैसेज फारमेट में व्यपार की सुविधा के लिए प्रकाशित किया गया है । एन.आई.सी के रिमोट दायर साफटवेयर (आर.ई.एस. पैकेज) को संशोधन दायर को शामिल करने के लिए उन्नयन किया गया है । आनलाईन में संशोधन दायर करने के बाद, जैसे वर्तमान में किया जा रहा है उसी प्रकार सिस्टम उचित अधिकारी के सामने प्रस्तुत करेगा । सहायक दस्तावेज टेबल में किये गए संशोधन स्वत:पूर्ण रूप से अनुमोदन हो जाएगा जब कि मिटाव/बदलाव सहित अन्य संशोधन क लिए उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदन करना अपेक्षित है ।

The facility for filing the amendment online through ICEGATE has been operationalized. The message id for the same would be CACHI0l_A, the details of which have been incorporated in the message format published on ICEGATE (https://www.icegate.gov.in/msg guideline.html) for the benefit of the Trade. NIC's Remote filing software(RES package)has also been upgraded to include amendment filing. Once the amendments are filed online, System would queue them before the proper officer the same way as is done currently. The additions made in Supporting documents table would continue to be auto approved while other amendments, including deletion/modification in supporting documents would require approval by the proper officer.

<u>b)बीई संशोधन फी के ईलेक्ट्रानिक उगाही और भुगतान/ Electronic levying and payment of BE Amendment Fee</u>

समय समय पर फीस उगाही (सीमा शुल्क दस्तावेज) संशोधन विनियम के अनुसार उगाही की जानेवाली संशोधन फीस को इंदराज करने के लिए संशोधन अनुमोदन प्रपत्र में एक विकल्प दिया गया है । फीस मूल्यनिरूपक या अधीक्षक द्वारा इंदराज किया जा सकता है और दल के उप/सहायक आयुक्त द्वारा एडिट किया जा सकता है । चूँकि फील्ड अनिवार्य है, यदि कोई फी नहीं लगाया गया तो शून्य को इंदराज किया जा सकता है । एक बार संशेधन का अनुमोदन हो गया और आगम बिल का निर्धारण हो गया तो , संशोधन फी स्वचालित रूप से शुल्क चलान में आईसगैट द्वारा ईलेक्ट्रानिक भुगतान के लिए शामिल हो जाएगा । इस संबंध में सिस्टम द्वारा आयातकर्ता/सीमा शुल्क ब्रोकर को उचित अधिकारी द्वारा किये गए अनुमोदन /अस्वीकृति को सूचित करते हुए ई मेल प्रेषित किया जाता है जिसमें लगाये गए संशोधन फीस (यदि उचित अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो तो) या अस्वीकृति के कारण भी सूचित किया जाता है ।

An option has been added in the Amendment approval form to enter amendment fees levied in terms of Levy of Fees(Customs Documents) Amendment Regulations as amended from time to time. The fees can be entered by the appraiser/supdt and can be edited by the group AC/DC. Since the field is mandatory, zero can be entered if no fees is to be levied. Once the amendment is approved and the Bill of Entry is assessed, the amendment fees will automatically get included in the duty challan for electronic payment through ICEGATE An email will also be triggered by the System to the

Importer/Customs Broker informing about the approval/rejection of the amendment by the proper officer along with the amendment fees levied(in case of approval) or the reasons for rejection.

3. इसकी प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से वर्तमान कोविड 19 संकटकाल के दौरान, व्यापर संगठनों से अनुरोध है कि उक्त सुविधा का प्रसार करें । आगे व्यापर को आनलाईन संशोधन दायर की सुविधा को उपभोज्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

Considering their importance, particularly during the current Covid-19 crisis, trade associations are requested to give wide publicity to the above mentioned facility. Further Trade is also encouraged to avail the benefits of online amendment filing.

4. अधिकारियों के लिए इस लोक सूचना में सूचित निर्णयों के आधार पर लेने वाली कार्रवाई के लिए यह स्थायी आदेश के रूप में लागू होगा ।

Action to be taken in terms of decisions conveyed in this Public Notice should be considered as Standing Order for the purpose of Officers.

5. इस संबंध में कोई तकलीफ हो तो उसको श्री एस नासर खान, अपर आयुक्त,को दूर भाषा सं080-27688258 या ई मेल पता Email-nasser.khan@nic.in. में संपर्क कर सकते हैं ।

Difficulties, if any, may please be brought to the notice of Sri.S. Nasser Khan, Additional Commissioner, Telephone No.080-27688258 Email-nasser.khan@nic.in.

अशोक 26/05/2020.

(अशोक/ASHOK)

प्रधान आयुक्त PRINCIPAL COMMISSIONER

फाईलसंC.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

के तहत जारी की जा रही है /Issued from File C.No.VIII/48/97/2020 BACC TECH

प्रतिप्रसतुत /Copy submitted to:

मुख्यआयुक्त, सीमाशुल्कबेंगलूरु, बेंगलूरुअंचल, केंद्रीयराजस्वभवन, बेंगलूरु / The Chief Commissioner of Customs, Bengaluru Zone, C.R. Building , Bengaluru

प्रतिप्रेषित/Copy to:

1) सभीअपर/ संयुक्त/उप/सहायकआयुक्तएयरपोर्टएवंएसीसीआयुक्तालय/ All the ADCs/JCs/DCs/ACs, Airport & ACC Commissionerate, Bengaluru
2) फेडरेशनआफकर्नाटका, चेंबरऑफकामर्स, सं9996 , केंपेगौडारोड, गाँधीनगर, बेंगलूरु Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry (FKCCI), No.9996, Kempegowda Road, Gandhinagar, Bengaluru
3) बेंगलूरुसीमाशुल्कब्रोकार्सएजेंटसंगटन, सं71., कार्गोविलेज, बी-ब्लाक, बेंगलूरुअंतर्राष्ट्रीयएयरपोर्ट,देवनहल्ली, बेंगलूरु / Bangalore Customs Brokers Agents Association
4) सभी एयर लाइंस उनके संगठन द्वारा/ All Airlines through Association.
5) फेडरेशनआफइंडियनएक्सपोर्टआरगेनाईसेशन, (एफ.आई.एफ.ओ,) पहलातल, वी.आई.टी.सी, भवन, कस्तूरिबारोड, बेंगलूरु।Federation of Indian Export Organisation (FIEO),IstFloor,VITC Building, Kasturba Road, Bengaluru
6) सभी संरक्षकों/All Custodians.
7) बेंगलूरुसीमाशुल्कवेबसाईट /Bengaluru Customs Website
8) सूचनापट्ट /Notice Board.
9) बेंगलूरुसेप्रचलितसभीकोरियरएजेन्सी /All Courier Agencies Operating at Bengaluru (कोरियरसंगठनद्वारा/ through Courier Association)
10) मास्टरफाईल /Master file.